[भाग ,असाधारण ,भारत के राजपत्र 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 16/2020-केन्द्रीय कर

तारीख ,नई दिल्ली 23 मार्च,2020

सा0का0नि0.....(केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम ,केन्द्रीय सरकार -.(अ, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 केन्द्रीय माल औस सेवा कर नियम में और ,द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अर्थात् ,संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1.(1) नियम (तीसरा संशोधन) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । ,इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है नियम 8 में, 1 अप्रैल, 2020 उपनियम ,से (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया अर्थात् ,जाएगा :-
"(4उपधारा ,आवेदक (क (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए ।"आधार संख्या अधिप्रमाणन करवाएगा ।

3. उक्त नियमों में, 1 अप्रैल, 2020 नियम ,से 9 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अर्थात् ,अंतःस्थापित किया जाएगा :-
"परंतु जहां धारा 25 की उपधारा (6नियम ,के अधीन अधिसूचित व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति (घ 8 के उपनियम (4में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराने में असमर्थ रहता है वहां (क नियम ,आवेदन की तारीख से साठ दिन के अपश्चात् उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में ,रजिस्ट्रीकरण 25 में उपबंधित रीति में केवल कारबार के मूल स्थान का वास्तविक सत्यापन करने के पश्चात् ही दिया जाएगा और ऐसे मामलों में उपनियम (5) ।"के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 25 अर्थात् ,निम्नलिखित नियम रखा जाएगा ,के स्थान पर :-

"जहां समुचित अधिकारी का यह **-कारबार परिसर का वास्तविक सत्यापन ,कतिपय मामलों में** समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का वास्तविक सत्यापन रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने से पहले या रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के पश्चात् किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन में कारबार के स्थान का ऐसा ,असफल होने के कारण अपेक्षित है वहां वह उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में ऐसे सत्यापन की तारीख ,और फोटो सहित अन्य दस्तावेजों के साथ सत्यापन रिपोर्ट,सत्यापन कर सकेगा से आगामी पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर ।"अपलोड करेगा ।

5. उक्त नियमों के नियम, 43 के उपनियम (1) में 1 अप्रैल, 2020 से,-

(अर्थात् ,निम्नलिखित खंड रखा जाएगा ,के स्थान पर (ग) खंड (क :-

" ',के अधीन नहीं आते हैं (ख) और खंड (क) जो खंड ,के रूप में द्योतक ऐसे पूंजी माल के सम्बन्ध में 'ए को इलेक्ट्रॉनिक जमा कहते मैं ,नाते के होने राशि की टैक्स परिलक्षित बीजक में ,इनपुट कर की रकम ऐसे माल के बीजक से पांच वर्ष होगा ,जमा किया जायेगा और ऐसे माल का उपयोगी जीवन :

के अधीन पूर्वतन आया है इस खंड के अधीन तत्पश्चात् (क) परंतु जहां कोई पूंजी माल खंड आयेगा क के अनुसार उल्लिखित ऐसे पूंजी मालों के संबंध में निवेश कर इस शर्त के अधीन इलेक्ट्रानिक 'टाई' ऐसी पूंजी माल के दौरान अवधि के लिए अपात्र प्रत्यय मानते हुए ,प्रत्यय खाता में जमा की जाएगी के अंतर्गत आते थे प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत (क) के रुप में उल्लिखित खंड के ,अंकों की दर पर परिकलित किया जाएगा और कर अवधि जिसमें ऐसे प्रत्यय का दावा किया गया है निर्गम कर दायित्व को सम्मिलित करेगा :

संघ राज्यक्षेत्र कर और समाकलित कर के ,राज्य कर ,केन्द्रीय कर 'टाई' परंतु यह कि रकम निवेश कर पत्यय के लिए अलग से गणना की जाएगी और प्ररुप जी एस टी आर – 3 ख में घोषित की जाएगी " ;

(अर्थात् ,निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा ,के स्थान पर (घ) खंड (ख :-

"के अधीन इलैक्ट्रोनिक प्रत्यय 'ग' की रकम का संकलित प्रत्यय सामान्य पूंजी माल के संबंध में खंड 'क के रुप में निरुपित "टी सी" जो कि ,जिसका उपयोग कर अवधि के दौरान होता है ,खाता जमा किया गया ऐसी पूंजी माल के संबंध में सामान्य प्रत्यय होगा ,किया जाता है :

के अधीन (ग) वह खंड ,है के अधीन पहले से ही आच्छादित (ख) परंतु जहां कोई पूंजी माल खंड 'टी सी' संबंध में निवेश कर प्रत्यय मांग समाकलित मूल्य पश्चातवर्ती आच्छादित था ऐसी पूंजी माल के पर जोड़ा जाएगा ; " ;

(अर्थात् ,निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा ,में (.ड) खंड (ग :-

"संदेह का निवारण करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी पूंजी माल का – स्पष्टीकरण उक्त पूंजी ,उपयोगी जीवन बीजक की तारीख से पांच वर्षों तक विचार में लिया जाएगा और उक्त सूत्र । माल के उपयोगी जीवन के दौरान लागू होगा ";

(का लोप किया जाएगा । (च) खंड (घ

6. नियम ,उपर्युक्त नियमावली में 80 में उपवाक्य (3) स्थापित किया:के अंत 'परन्तुक' निम्नलिखित ,में जाएगा:-

"बशर्ते कि हर पंजीकृत व्यक्ति जिसका सकल कारोबार वित्तीय वर्ष 2018-19 में पांच करोड़ रूपये से को अपने बही खातों की धारा ,अधिक रहा होगा 35 की उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट रूप से लेखा ,परीक्षित वार्षिक बही खाते की एक प्रति/परीक्षित करानी होगी और वह उस लेखा परीक्षा/परीक्षा वित्तीय वर्ष ,विधिवत अभिप्रमाणित हो 2018-19 के FORM GSTR-9C में सामान्य पोर्टल के माध्यम ,चाहे सीधे हो या चाहे आयुक्त के द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से ,से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा।"

7. नियम ,उक्त नियमों के 86 में उपनियम (4) के बाद निम्नलिखित उप नियम को अंतःस्थापित किया अर्थात् ,जाएगा :-

"(4जहां रजिसट्रीकृत व्यक्ति किसी संदत्त रकम जो कि दोषपूर्ण कर संदत्त या अधिक्य में संदत्त कर (क उक्त ,जिसके लिए विकलन इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता से किया गया है ,के प्रतिदाय का दावा किया है को प्ररुप जी एस टी पी एम टी ,यदि ग्राह्य पायी जाती है ,रकम-03 में उल्लिखित आदेश द्वारा उचित अधिकारी द्वारा इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता में पुनः प्रत्यय किया जाएगा ।"

8. उक्त नियमों के नियम 89 उपनियम ,में (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा (ग) खंड ,में अर्थात् :-

'(का अर्थ बंधपत्र या उपक्रम पत्र या कीमत के अधीन कर "दर पूर्ति का न्यापारावर्त-मालों का शून्य" (ग है जो प्रदायकर्ता के संदाय के बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए मालों की शून्य दर पूर्ति की कीमत द्वारा यथाघोषित वही या समान रुप से रखे गए प्रदायकर्ता द्वारा घरेलू मालों की पूर्ति के बराबर की कीमत का 1.5 जो उपनियम ,गुना है (4या उपनियम (क 4 (या दोने के अधीन वापसी के लिए दावा (ख के संबंध में पूर्तियों से भिन्न व्यापारावर्त से कम है ,किया गया है ;'

9. उक्त नियमों के नियम 92 में,-

(नियम-उप (क (1) अर्थात् ,नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा-के बाद निम्नलिखित उप :-

"(1जहां शून्य दर पूर्ति या समझा गया निर्यात पर संदत्त कर की वापसी से भिन्न कर के रुप में संदत्त (क किसी रकम की वापसी का आवेदन की परीक्षा के लिए उचित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (5) ,के अधीन की गई वापसी शोध्य है और आवेदक को संदेय है वह नकदी में संदत्त किए जाने के लिए वापसी की रकम को स्वीकृत करते हुए प्ररुप आर एफ डी-06 में एक आदेश देगा अधिनियम के अधीन या किसी प्रवृत्त विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध समायोजित रकम में उल्लिखित सुसंगत अवधि के लिए उन्मोचित कर दायित्व के लिए कुल संदत्त रकम के विरुद्ध नकदी में विकलित रकम के लिए आनुपातिक और वापसी योग्य रकम का अतिशेष और शेष उचित ,जो ऐसे कर के संदाय के लिए इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाता से विकलित किया गया है ,रकम के लिए अधिकारी इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाता में निवेश कर प्रत्यय के रुप में उक्त रकम को पुनः जमा करते हुए प्ररुप जी एस टी पी एम टी -03 जारी करेगा ।" ;

(नियम-उप (ख (4) नियम-उप" ,में (1) कोष्ठकों और अंकों के ,शब्दों "के अधीन प्रतिदाययुक्त रकम नियम-या उप" स्थान पर (1अंक और अक्षर रखे जाएंगे ,कोष्ठक ,शब्द "(क ;

(नियम-उप (ग (5) नियम-उप" ,में (1) कोष्ठकों और अंकों के ,शब्दों "के अधीन प्रतिदाययुक्त रकम नियम-या उप" स्थान पर (1अंक और अक्षर रखे जाएंगे ,शब्द (क" ;

10. उक्त नियमों के नियम 96 नियम-के उप (10) जो कि (ख) के खंड 23 अक्तूबर, 2017 ,में प्रवृत्त हुआ अर्थात् ,में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं के लाभ केवल उपयोग ,इस उपनियम के उद्देश्यों के लिए -.स्पष्टीकरण के लिए विचार में नहीं लिए जाएंगे जाहं पंजीकृत व्यक्ति निवेशों पर समाकलित माल और सेवा कर और (बी सी डी) प्रतिकर उपकर संदत्त किया है और उक्त अधिसूचना के अधीन केवल आधारभूत सीमा शुल्क छूट प्राप्त होगी । "

11. नियम ,उक्त नियमों में 96अर्थात् ,निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा ,क के बाद :-

"96 मालों के निर्यात पर अनुपयोजित निवेश कर प्रत्यय या समेकित कर संदाय की वापसी की .ख वसूली जहां निर्यात की वसूली की प्रक्रिया नहीं की जाती है –

(1) जहां मालों के निर्यात या मालों के निर्यात पर एकीकृत कर संदाय के लिए निवेश कर प्रत्यय का उपयोग न किए गए की कोई वापसी किसी आवेदन को संदत्त की गई है किंतु ऐसे निर्यात मालों के संबंध विदेशी मुद्रा प्रबंध ,में विक्रय की कार्यवाही संपूर्ण रुप से या उसके भाग रुप में वसूली नहीं की गयी है अधिनियम 1999 (1999 का 42) ऐसी अवधि के किसी ,के अधीन अनुज्ञेय अवधि के भीतर भारत में वह व्यक्ति जिसको प्रतिदाय किया गया है ऐसे प्रतिदाय की गई रकम ,विस्तार को सम्मिलित करते हुए

उक्त अवधि के समाप्ति के तीस ,विक्रय प्रक्रिया के वसूली न किए गए के विस्तार तक ,को जमा करेगा जिसमें वह रकम का प्रतिदाय ,विस्तारित अवधि आती है ,यथास्थिति ,दिनों के भीतर लागू ब्याज के साथ किया गया अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के उपबंधों के अनुसार वसूली जाएगी जैसी भी स्थिति धारा ,हो 50 के अधीन ब्याज सहित त्रुटिपूर्ण वापसी के लिए वसूली की जाएगी :

परंतु जहां विक्रय की प्रक्रिया या उसका कोई भाग ऐसे निर्यात मालों के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) ,के अधीन अनुज्ञेय अवधि के भीतर आवेदक द्वारा वसूली नहीं की गई है किंतु भारतीय रिजर्व बैंक गुणागुणों पर विक्रय प्रक्रियाओं की वसूली की आवश्यकता को अपलिखित आवेदक को संदत्त वसूली की वापसी नहीं होगी । ,करता है

(2) जहां विक्रय प्रक्रिया आवेदक द्वरा वसूली की जाती है वसूली की रकम के पश्चात् संपूर्ण रुप से या उसके भाग रुप में उपनियम (1) के अधीन उससे वसूल की गयी है और आवेदक विक्रय प्रक्रिया के वसूली ऐसी वसूल ,की तारीख से तीस महीने की अवधि के भीतर ऐसी वसूली के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करता है की गई रकम विक्रय प्रक्रियाओं के वसूली के विस्तार तक आवेदक को उचित अधिकारी द्वारा वापसी की परंतु विक्रय प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुज्ञात ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर ,जाएगी । वसूल की गयी हो"

12. नियम ,उक्त नियम में 141 नियम-के उप (2) " उचित अधिकारी" शब्द के स्थान पर "आयुक्त" में रखा जाएगा ।

13. प्ररुप जी एस टी आर एफ टी ,उक्त नियम में-01 में नियम 89(2)(के अधीन घोषणा के बाद (छ अर्थात् ,निम्नलिखित वचनबंध को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

वचन बंध
मैं एतद्द्वारा वचन देता हूं कि जी एस टी नियम, 2017 की धारा 96 ख के साथ पठित आई जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 16 के परंतुक के अनुसार विदेश विनियम की विप्रेषणादेश की दशा में ब्याज के साथ मंजूर प्रतिदाय की राशि सरकार को जमा करुंगा । हस्ताक्षर- नाम प्रास्थिति ।/ पदनाम"

[सं .फा. CBEC-20/06/04/2020-जी एस टी]

(प्रमोद कुमार)
भारत सरकार ,निदेशक

भाग ,असाधारण ,मूल नियम भारत के राजपत्र :टिप्पण - 2, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना संख्यांक 3/2017-तारीख ,केन्द्रीय कर 19 जून, 2017 नि.का.संख्यांक सा. 610 (तारीख ,(अ 19 जून, 2017 में प्रकाशित किए गए और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक 02/2020-तारीख ,केन्द्रीय कर 01 जनवरी, 2020 नि.का.को संख्यांक सा. 4(तारीख ,(अ 01 जनवरी, 2020 में प्रकाशित किए गए थे ।